न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 206/2012

1 मोहनलाल उम्र 55 वर्ष करीब पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ग्राम ठिठावता पीरान तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोती दत्तक पुत्र चिमनाराम।
2 नागर (मृत)।
2/1 ओमप्रकाश स्वामी पुत्र नागर।
2/2 घनश्याम स्वामी पुत्र नागर।
2/3 सुभाष स्वामी पुत्र नागर।
2/4 मुनकेश स्वामी पुत्र नागर।
2/5 विमला देवी पुत्री नागर।
2/6 सुमित्रा देवी पुत्री नागर।
2/7 सुलोचना देवी पुत्री नागर।
2/8 मैना देवी पुत्री नागर।
2/9 फूली देवी पुत्री नागर।
3 सत्यनारायण पुत्र जगदीश।
4 बिसना पुत्र जगदीश।
5 त्रिलोक पुत्र जगदीश।
6 रतनलाल पुत्र जगदीश समस्त जाति स्वामी निवासीगण ग्राम ठिठावता पीरान तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
7 तहसीलदार फतेहपुर।
8 उप पंजीयक फतेहपुर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील संख्या 212/2012

1 मोहनलाल उम्र 55 वर्ष करीब पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ग्राम ठिठावता पीरान तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोती दत्तक पुत्र चिमनाराम।
2 नागर (मृत)।
2/1 ओमप्रकाश स्वामी पुत्र नागर।
2/2 घनश्याम स्वामी पुत्र नागर।
2/3 सुभाष स्वामी पुत्र नागर।
2/4 मुनकेश स्वामी पुत्र नागर।
2/5 विमला देवी पुत्री नागर।
2/6 सुमित्रा देवी पुत्री नागर।
2/7 सुलोचना देवी पुत्री नागर।
2/8 मैना देवी पुत्री नागर।
2/9 फूली देवी पुत्री नागर।
3 सत्यनारायण पुत्र जगदीश।
4 बिसना पुत्र जगदीश।
5 त्रिलोक पुत्र जगदीश।
6 रतनलाल पुत्र जगदीश समस्त जाति स्वामी निवासीगण ग्राम ठिठावता पीरान तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
7 तहसीलदार फतेहपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 उप पंजीयक फतेहपुर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर दिनांकित 11.04.2012 प्रकरण शीर्षकीय मोती बनाम नागर आदि वाद संख्या 11/2006

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद मोदी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पवन कुमार स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री राजेन्द्र जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.01.2020

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 11/2006 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2012 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 29.06.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनों का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में प्रथक—प्रथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने वाद बंटवारा , उदघोषणा एवं खाता दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 17,17/171, 49/1,49/2,49/3 वाके ग्राम ठिठावता पिरान प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 11.04.2012 को प्राथमिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डिक्री एवं दिनांक 29.06.2012 को अन्तिम डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर प्राथमिक डिक्री की अपील धारा 5 के साथ एवं अन्तिम डिक्री की अपील अन्दर मियाद पेश की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की तामील ही नही हुई है बिना विधिक प्रकिया के एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है। प्राथमिक डिक्री में रिकार्डेड खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन आदेश पारित किये गये है इन्हे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नही किये जाकर पटवारी द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अपीलांट को नोटिस देकर सूचित नही किया गया है। अपीलांट की अनुपस्थिति में प्रस्ताव तैयार किये गये है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। अत दोनों अपीले स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट उपस्थित थे बाद में गैर हाजिर हो गये। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट अजनबी केता है अपीलांट स्वच्छ हाथो से नही आये है। जमाबंदी में अंकित सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है दोनों अपीले सारहीन होने खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में पक्षकारों की तामील ही नही हुई है बिना विधिक प्रकिया के एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है। प्राथमिक डिक्री में रिकार्डेड खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन आदेश पारित किये गये है इन्हे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नही किये जाकर पटवारी द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अपीलांट को नोटिस देकर सूचित नही किया गया है। अपीलांट की अनुपस्थिति में प्रस्ताव तैयार किये गये है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना, नियम 18 से 21 की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही मानी जा सकती है। फलस्वरूप दोनों अपीले स्वीकार की जाकर विचाराधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई, जवाब का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर